


15/3/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित
नहीं। न्यायालय समय में कई बार आवाज
लगाये जाने पर भी वकील वादी व वादी
उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम्य पेश की, अदम्य
राजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली
के सबूत ग्युमारा शेकर वाद तबलीब, तज्मेह
हाबिबल दफ्तार है।


सहायक कलक्टर
बीकानेर



15/3/24